UPSH010051902026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), कक्ष संख्या–42, शाहजहाँपुर।

Bail Application No.-2162/2026

शिवम कश्यप पुत्र नन्हकू उर्फ कैलाश, निवासी ग्राम मल्हपुर, थाना काँट, जिला शाहजहाँपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र० राज्य आदि। .....विपक्षीगण।

मु०अ०सं०–347/2026,
धारा– 137(2), 64(1) भारतीय न्याय संहिता व
धारा–3/4 पॉक्सो एक्ट,
थाना–काँट, जिला–शाहजहाँपुर।

दिनांक–12.08.2026

प्रार्थी/अभियुक्त– शिवम कश्यप की ओर से उपरोक्त मामले में जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र धनीराम, जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र पर अंकित किया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न तो विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है।

प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी मुकदमा/पीड़िता की माता के द्वारा सम्बन्धित थाना पर इस आशय की सूचना गयी है कि " दिनांक 21.07.2026 को समय करीब सुबह 4 बजे मेरे ही गाँव का शिवम कश्यप मेरी लड़की 'पीड़िता' उम्र करीब 16 वर्ष को बहला–फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। मेरी लड़की घर में रखा माल जेवर व 20,000/रुपये नगत अपने साथ ले गयी। मैं सूचना को आयी हूँ। उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। मेरी लड़की को भगान में कैलाशचन्द्र उर्फ नन्हकू पुत्र मौजीराम का सहयोग है।"

वादिनी मुकदमा की सूचना के आधार पर दिनांक 21.07.2026 को समय 20:653 बजे थाना काँट पर मु०अ०सं०–347/2026, धारा–137(2) भा०न्या०सं०, विरूद्ध अभियुक्त शिवम कश्यप व कैलाशचन्द्र उर्फ नन्हकू, मुकदमा पंजीकृत किया गया, दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त शिवम कश्यप के विरूद्ध धारा–64(1) भा०न्या०सं० व धारा–3/4 पॉक्सो एक्ट का अपराध कारित किया जाना पाते हुए धारा–64(1) भा०न्या०सं० व धारा–3/4 पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया कि प्रार्थी निर्दोष है एवं गांव की पार्टीबन्दी के कारण रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 17 घण्टे के विलम्ब से लिखायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। कथित मुकदमा में कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है एवं कोई सीसीटीवी फुटेज आदि साक्ष्य नहीं है। पीड़िता की बरामदगी प्रार्थी के साथ नहीं हुई है। कथित मुकदमे में पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण में किसी प्रकार के बल प्रयोग के चिन्ह होना व गलत कार्य की पुष्टि नहीं है। पीड़िता के धारा–180 बीएनएसएस व 183 बीएनएसएस के बयानों में काफी विरोधाभास है। प्रार्थी का कथित घटना से कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। प्रार्थी घर का अकेला एवं गरीब व्यक्ति है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी दौरान मुकदमा साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा एवं पलायन नहीं करेगा। प्रार्थी दौरान मुकदमा नियत तिथियों पर उपस्थित रहेगा एवं विचारण में सहयोग करेगा। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाए।

वादिनी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने वादिनी की अवयस्क पुत्री/पीड़िता को बहला फुसलाकर ले जाकर उसका व्यपहरण किया है तथा अवयस्क पीड़िता के जबरदस्ती बलात्कार कारित किया है। अभियुक्त पर आरोपित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः याचना की गयी कि प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में जमानत प्रार्थना पत्र में दर्शित आधारों को दौहराते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी।

मेरे द्वारा अभियुक्त व वादिनी मुकदमा के विद्वान अधिवक्तागण व विद्वान विशेष लोक अभियोजक अधिकारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

Digitally signed by NUSRAT KHAN
Date: 2026.08.12 15:27:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी के अवलोकन से विदित है कि विवेचक द्वारा पीड़िता की आयु के सम्बन्ध में केस डायरी के साथ पीड़िता का कक्षा 8 की शिक्षा से सम्बन्धित एस०आर० रजिस्टर की छाया प्रति व स्थानान्तरण प्रमाणपत्र संलग्न किए गए हैं, जिनमें पीड़िता की जन्मतिथि 12.08.2008 दर्शायी गयी है, जिसके अनुसार कथित घटना दिनांक 21.07.2026 को पीड़िता की आयु 17 वर्ष 11 माह 09 दिन है। अर्थात् पीड़िता प्रथम दृष्टया शैक्षिक प्रमाण पत्र के अनुसार घटना के समय 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क बालिका है।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा की अवयस्क पुत्री/पीड़िता का बहला–फुसलाकर व्यपहरण करने एवं उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध स्थापित कर दुष्कर्म करने का आक्षेप है। पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी में उल्लिखित पीड़िता के धारा–180/183 बी०एन०एस०एस० के बयानों में पीड़िता ने दिनांक 20.07.2026 को रात में घर से बरेली मोड़ जाना, बरेली मोड़ पर अभियुक्त को फोन करके बुलाना, वहाँ से अभियुक्त शिवम के साथ नोएडा जाकर, कमरा लेकर रहना एवं अभियुक्त के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाए जाने का कथन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट में Hymen–old torn दर्शाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों/शैक्षिक प्रमाणपत्रों के अनुसार प्रथम दृष्टया पीड़िता घटना के समय 18 वर्ष के कम आयु की अवयस्क बालिका है, ऐसे में पीड़िता की सम्मति विधिक सम्मति नहीं है। लैंगिक अपराधों से बालक का संरक्षण अधिनियम 2012 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बालक बताया गया है एवं ऐसे बालक के साथ प्रवेशन लैंगिक हमले को अपराध बताया गया है। प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त है। प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोपित अपराध गम्भीर प्रकृति का है एवं उसमें अभियुक्त की कथित भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त– शिवम कश्यप की ओर से मु०अ०सं०–347/2026, धारा– 137(2), 64(1) भारतीय न्याय संहिता व धारा–3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना कॉंट, जिला शाहजहाँपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2162/2026 निरस्त किया जाता है।

<u>दिनांकः 12.08.2026</u>

(नुसरत खान)
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–42/
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), शाहजहाँपुर।
जे०ओ० कोड– यू०पी० 1604